


RBE No.29/2019



PCPO's Sl.No.36/2019

No. E/9(C)/O/ECR/HJP

Dated:- 13.03.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण /पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
8. Sr.DPO/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
10. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : Amendment to the Indian Railway Establishment Manual Volume-I,
Revised Edition 1989 Chapter 9, Running Allowance Rules.


संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.E(P&A)II-2016/RS-40 Dated: 20.02.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रोत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.


13/03/2019

(पंकज कुमार)
वकाधि / एम.पी.पी.
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस0.सी0. / एस0.टी0. / एशोसिएशन / पू.म.रे / हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ.बी.सी.एशोसिएशन / पू.म.रे / हाजीपुर।

05/11/19
4.2.
11/4/19

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 29/2019

No.E (P&A)II-2016/RS-40

New Delhi, dated 20.02.2019

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units.


Subject:-Amendment to the Indian Railway Establishment Manual Volume-I,
Revised Edition 1989 Chapter 9, Running Allowance Rules.

+++++

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 913 (i)(a) of the Indian Railway Establishment Manual Volume-I, Revised Edition 1989 may be amended as in the enclosed Advance Correction Slip No. 262.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
3. Please acknowledge receipt.

DA: Advance Correction Slip.


(N.P. SINGH)
Joint Director, Estt.(P&A)
Railway Board

No.E (P&A)II-2016/RS-40

New Delhi, dated 20.02.2019

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India(Railways), Room No.224, New Delhi-110001.


For Financial Commissioner/Railways

No.E (P&A)II-2016/RS-40

New Delhi, dated 20.02.2019

Copy to :-

- (1) The PFAs, All Indian Railways & Production Units etc.
- (2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
- (3) Director General RDSO Lucknow.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 29 /2019

सं. ई(पी एंड ए) II-2016/आरएस-40

नई दिल्ली दिनांक 20.02.2019


महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय: भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1, संशोधित संस्करण 1989 अध्याय 9,
रनिंग भत्ता नियमों में संशोधन.

राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1, संशोधित संस्करण 1989 के नियम 913 (i)(क) में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 262 के अनुसार संशोधन किया जाए.

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.
3. कृपया पावती दें.

संलग्न: अग्रिम शुद्धि पर्ची.



(एन.पी.सिंह)

संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1, संशोधित संस्करण 1989 अध्याय 9, रनिंग भत्ता नियमों में संशोधन के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची.

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 262

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1, संशोधित संस्करण 1989 के नियम 913 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:-

नियम 913 (i)(क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

"जब रनिंग कर्मचारियों को 30 दिन या उससे कम के लिए किसी "रनिंग पद" पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए तैनात किया जाता है तो वे निम्नतर ग्रेड में यथा अनुज्ञेय वेतन और 15 प्रतिशत की वृद्धि सहित उस उच्चतर ग्रेड, जिसमें वे उच्चतर ग्रेड में लागू दरों और शर्तों पर रनिंग भत्ते के हकदार होंगे (सिवाय दूसरे फायर मैन को स्थानापन्न रूप में प्रथम फायर मैन तैनात किए जाने पर और इंजन क्लीनर को स्थानापन्न रूप में दूसरे फायर मैन के रूप में तैनात किए जाने पर, जिनके लिए यह वृद्धि प्रत्येक ऐसे उच्चतर ग्रेड के लिए वास्तविक किलोमीटर भत्ते का 30 प्रतिशत होगी)."

(प्राधिकार बोर्ड का पत्र सं. ई(पी एंड ए) II-2016/आरएस-40 दिनांक 20.02.2019)